संख्या 132/वि0 अनु0–3/2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक : 18 दिसम्बर, 2001

विषय– प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों के मकान किराये भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण।

महोदय,

वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या –जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून,1999 में इंगित तालिकाओं के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "ए" "बी–1", "बी–2", "सी" एवं अवर्गीकृत श्रेणी में विभाजित करते हुए वहाँ कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय–व्ययक से दिनांक 1 जनवरी ,1999 से लागू नवीन वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे है, को विभिन्न सीमाओं में संशोधित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 जून, 1999 से अनुमन्य कराया गया है । इसी के क्रम में वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–जी–1–889/दस–99–205–99 दिनांक 6 दिसम्बर,1999 के द्वारा कतिपय शहरों के मकान किराये भत्ते की श्रेणी में भी परिवर्तन किया गया है ।

2– इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त देहरादून को "सी" श्रेणी से " बी–2 "श्रेणी में एवं गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत तथा रूद्रप्रयाग शहरों के जिला मुख्यालय हो जाने के कारण "अवर्गीकृत "श्रेणी से "सी" श्रेणी में उच्चीकृत करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें निम्न तालिका के अनुसार अनुमन्य करने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका

क्रम सं0	वेतन सीमा (रू0)	श्रेणी–बी–2 के नगरो में	श्रेणी–सी के नगरो में	अवर्गीकृत नगरीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1–	2550–3049	380	190	125
2–	3050–3799	455	230	150
3–	3800–4549	570	285	190
4–	4550–5299	680	340	225
5–	5300–6049	795	395	265
6–	6050–6799	905	455	300
7–	6800–7549	1020	510	340
8–	7550–8299	1130	565	375
9–	8300–9049	1245	620	415
10–	9050–9799	1355	680	450
11–	9800–10799	1470	735	490

1	2	3	4	5
12–	10800–11799	1620	810	540
13–	11800–12799	1770	885	590
14–	12800–13799	1920	960	640
15–	13800–14799	2070	1035	690
16–	14800–15799	2220	1110	740
17–	15800–16799	2370	1185	790
18–	16800–17799	2520	1260	840
19–	17800–18799	2670	1335	890
20–	18800–19799	2820	1410	940
21–	19800–21299	2970	1485	990
22–	21300–22799	3195	1595	1065
23–	22800–24299	3420	1710	1140
24–	24300–25799	3645	1820	1215
25–	25800 तथा अधिक	3870	1935	1290

श्रेणी बी–2, "सी" तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरो/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
"बी– 2"	देहरादून (शहरी क्षेत्र)
"सी"	हरिद्वार (शहरी क्षेत्र), काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी–"कम"–"काठगोदाम" रूडकी (शहरी क्षेत्र) अल्मोडा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मंसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ, टिहरी, पौडी गढवाल (शहरी क्षेत्रों), गोपेश्वर (चमोली), उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग ।
"अवर्गीकृत"	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र

3– वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 ,भाग–4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है । ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होने दिनांक 1–1–96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिये विकल्प दिया हो, उनके लिये वेतन का तात्पर्य तदविषयक मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता, तथा वेतन का 10 प्रतिशत जैसा कि पूर्व के वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश में परिभाषित है, होगा ।

4– सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों/जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों सहित) सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ता की उपरोक्त दरे स्वतः लागू नही होगीं । उनके सम्बन्ध में उपरोक्त दरें मार्गदर्शी है । सम्बन्धित संस्थायें अपनी वित्तीय स्थिति एवं भुगतान क्षमता को देखते हुए निर्णय लेने में सक्षम है । इन संस्थाओं को संशोधित दरों के अधीन रहते हुए इस बात की स्वतंत्रता होगी कि संशोधित दरें किस तिथि से लागू की जाये ।

5– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका के अनुसार ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा ।

6– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो।

7– संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते है अथवा अपने निजी आवास में निवास करते है ।

8– उपरोक्त आदेश दिनांक 1–1–2002 से प्रभावी होगें ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त।

संख्या 132 (1)/वि0 अनु0–3/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, 5–ए थॉन हिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन इलाहाबाद।
2– विधान सभा, सचिवालय ।
3– राज्यपाल ,सचिवालय ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5– निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी,नैनीताल/निदेशक,माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल देहरादून ।
6– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,•उत्तरांचल, कैम्प कार्यालय सुद्दोवाला, देहरादून ।
7– समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
8– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 सा0 वित्त/934–03–01–2002–1,000 (कम्प्यूटर/रिजियो)।